(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 31 / 2023

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री मोहित बत्रा पुत्र श्री दुलीचंद बत्रा जाति पंजाबी निवासी सीसवाली रोड, अंता जिला बारॉ(विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स साई सागर दूध डेयरी, सीसवाली रोड, अंता जिला बारां
2. मैसर्स साई सागर दूध डेयरी, सीसवाली रोड, अंता जिला बारां
3. श्री विकास कुमार शर्मा पुत्र श्री निरंजन शर्मा निवासी 643 निगम के पास, आमपुरा, बारां(मालिक) मैसर्स माही दूध डेयरी, सीसवाली रोड, खजूरपुरा चौराहा, बारां
4. मैसर्स माही दूध डेयरी, सीसवाली रोड, खजूरपुरा चौराहा, बारां
5. श्री कमलेश जतेरे पुत्र श्री ईश्वरी प्रसाद जतेरे निवासी 243/ए भक्ति नगर एवेन्यू ए, बी मार्ग देवास बिलावली, मक्सी मार्ग, देवास(म.प्र.)मै. पवनश्री फूड इंटरनेशनल प्रा.लि. 68ए इंडस्ट्रियल एरिया मक्सी जिला शाजापुर,(म.प्र.)
6. मैसर्स पवनश्री फूड इंटरनेशनल प्रा.लि. 68ए इंडस्ट्रियल एरिया मक्सी जिला शाजापुर,(म.प्र.)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) 51 एफएसएसएक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री मदनलाल गालव अभिभाषक (अप्रार्थी क्र. 01 ता 04)
3– श्री महेन्द्र चौराड़िया (अप्रार्थी क्र. 05 व 06 की ओर से)
कंपनी के प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 12.01.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये श्री गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.12.2022 को मैसर्स साई सागर दूध डेयरी, सीसवाली रोड, अंता जिला बारॉ(राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री मोहित बत्रा पुत्र श्री दुलीचंद बत्रा(विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.12.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक/एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 172 दिनांक 01.02.2012 एवं 437 दिनांक 09.01.2012 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र मे आते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.01 11:28:05 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां [illegible] पदार्थ **पाश्चुरीकृत फुल क्रीम दूध(श्रीधी गोल्ड) 500 एमएल मूल पॉली पैक** आम जनता को विक्रय हेतु फ्[illegible] में र[illegible] हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर [illegible] पदार्थ **पाश्चुरीकृत फुल क्रीम दूध(श्रीधी गोल्ड) 500 एमएल मूल पॉली पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक [illegible] पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म [illegible] की प्रति स्वतंत्र गवाह की [illegible]ति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ स[illegible] है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **पाश्चुरीकृत फुल क्रीम दूध(श्रीधी गोल्ड) 500 एमएल मूल पॉली पैक** के 04 मूल पॉलीपैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री मोहित बत्रा पुत्र श्री दुलीचंद बत्रा(विक्रेता एवं मालिक) को 132/–रूपये (अक्षरे एक सौ बत्तीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **पाश्चुरीकृत फुल क्रीम दूध(श्रीधी गोल्ड) 500 एमएल मूल पॉली पैक** के चारो भागो पर अलग अलग लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1615 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1615 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री मोहित बत्रा पुत्र श्री दुलीचंद बत्रा(विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/18 दिनांक 17.01.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1630/PHL/kota/Act/2023/1655 दिनांक 28.12.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पाश्चुरीकृत फुल क्रीम दूध(श्रीधी गोल्ड) 500 एमएल मूल पॉली पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub standard)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 12.04.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। अप्रार्थी क्रम 05 व 06 की ओर से मय **Authorisation Latter** के कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में श्री महेन्द्र चौराड़िया द्वारा उपस्थिति दी गई। अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **पाश्चुरीकृत फुल क्रीम दूध(श्रीधी गोल्ड) 500 एमएल मूल पॉली पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Sub standard)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.01 11:28:05 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 के अभिभाषक द्वारा [illegible] बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि दूध में किसी प्रकार की मिलावट नहीं [illegible] गई है जिससे वह मानव जीवन के लिए नुकसानदायक हो। दूध में फेट की मात्रा में परिवर्तन होना मौसम, चारा व जानवरों की किस्म आदि पर निर्भर होता है। प्रकरण में जांच रिपोर्ट अप्रार्थीगण को प्राप्त नहीं हुई है जिससे उस पर आपत्ति की जा सकती हो। प्रस्तुत परिवाद मिथ्या आधारों पर [illegible] स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई है। बिना जांच एवं मस्तिष्क का पूर्ण उपयोग किए बिना रिपोर्ट के आधार पर परिवाद पेश किया है जो अस्वीकार है। अतः निवेदन है कि परिवाद के साथ साक्ष्य बुलाकर उनसे प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान किया जावें। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 05 एवं 06 की ओर से उपस्थित कंपनी के प्रतिनिधि श्री महेन्द्र चौराड़िया द्वारा कहा गया कि लेबोरेट्री की रिपोर्ट में 0.3 प्रतिशत का हीं अंतर है जो फ्रीज में रखने की वजह से फैट थैली में चिपक जाने के कारण हो सकता है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी कार्यवाही खारिज की जावें।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1630/PHL/kota/Act/2023/1655 दिनांक 28.12.2022 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी क्रम 01 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है। प्रकरण **अवमानक(Sub standard)** से संबंधित है जिसमें साक्ष्य बुलाए जाने का प्रावधान नहीं है, अनसेफ से संबंधित प्रकरणों में साक्ष्य बुलाए जाने का प्रावधान है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पाश्चुरीकृत फुल क्रीम दूध (श्रीधी गोल्ड) 500 एमएल मूल पॉली पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1630/PHL/kota/Act/2023/1655 दिनांक 28.12.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub standard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी क्रम 05 एवं 06 को कुल जुर्माना राशि 55,000/– रूपये(अक्षरे पचपन हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 05 एवं 06 उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **12.01.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.01 11:28:05 IST
Reason: SelfAttested